संख्या- 01/2021/3242/58-1-20-2/2(7)15टी0सी0

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 08 जनवरी, 2021

विषय : वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं-0129-आधार नामांकन किट की व्यवस्था के मानक मद 42-अन्य व्यय" में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-651/बा0वि0परि0/आधार/2019-20, दिनांक 03 दिसम्बर, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के 75 जनपदों की कुल 897 बाल विकास परियोजनाओं के प्रयोगार्थ प्रति परियोजना 02 आधार नामांकन किट (डेस्कटाप कम्प्यूटर बेस्ड क्लाइंट तथा टैबलेट बेस्ड क्लांइट एवं सहवर्ती उपकरण) का बिड के माध्यम से जेम पोर्टल से क्रय किये जाने हेतु प्रति किट रू0 1.50 लाख की दर से रू0 1928.55 लाख के अनुमानित व्यय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त क्रय भारत सरकार/UIDAI द्वारा निर्गत शर्तों एवं प्रतिबन्धों, दिशा-निर्देशों एवं स्पेसिफिकेशन इत्यादि तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार जेम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। योजना हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृति के सापेक्ष नियमानुसार व्यय के आडिटेड लेखों के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार से नियमानुसार अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि समयबद्ध रूप से प्राप्त की जायेगी।

(3) उक्त स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि तक ही सीमित रहेगी।

(4) योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार क्रय की गयी सामग्री की गुणवत्ता की पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त भलीभांति सत्यापित बिलों के सापेक्ष उक्त स्वीकृति की सीमा में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाय।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(6) प्रश्नगत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(7) धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(8) वस्तुओं/उपकरणों के क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) उक्त सामग्री के क्रय पर हुए व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94,दिनांक 06 जून,1994, कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-16/94, दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020, शासनादेश संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18 मई, 2020 तथा शासनादेश संख्या-7/2020-बी-1-306/दस-2020-231/2020, दिनांक 17 जून, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं-0129-आधार नामांकन किट की व्यवस्था के मानक मद 42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-20/दस/2021, दिनांक 07 जनवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव ।

संख्या-01/2021/3242(1)/58-1-20-2/2(7)15टी0सी0 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1।
6. वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग ।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।